

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, अररिया ।
सत्रवाद संख्या 753 / 2009

22.01.2019 एक मात्र अभियुक्त शशि यादव अनुपस्थित है। निर्गत प्रोसेस 82, 83 द.प्र. सं. का तामिला अप्राप्त है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त काफी लंबे समय अर्थात् 01.03.2017 से ही अनुपस्थित है। इनके उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा सारी प्रक्रिया की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अभियुक्त उपस्थित नहीं हुए है ना ही निकट भविष्य में इनके उपस्थित होने की संभावना है।

अतः अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय इनके विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा फरार पंजी में दर्ज करें। अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित
Sd/-

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
अररिया ।